

को पेश हों।

आज्ञा से

DS

रीडर

10/3/25


कलाय पत्रकारान उपस्थित / पीछरीण  
कार्यकारी ~~डा. अ. रा. प. का. म. क.~~  
होने से प्रकरण दिनांक 27/3/25  
को पेश हो।

9  
रीडर

27.3.25

पत्रावली पेश हुई। पार्थी अधिकृत उपस्थित हुए प्रकरण का मूलकांड 09R8 के तहत अदम हाजरी- अदम पेयवी एवं अदम तामिल में खारिज हो चुका है जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः पार्थीनाम इसी स्तर पर आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी-अदम पेयवी एवं तामिल में खारिज किया जाता है। निर्णय गैर इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(सोनिके कुमारी)

IAS